UPBJ010023512026

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0 128/2026

अंशु बनाम दयानन्द आदि

धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0

थाना–नगीना, जिला बिजनौर।

दिनांक 17–03–2026

पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र क–3 हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 मय शपथ पत्र विपक्षीगण दयानन्द, धर्मराज व संदीप के विरूद्ध सम्बन्धित थाने पर अभियोग पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अनुसूचित (बाल्मिकी) जाति का है। विपक्षी सं0 1 व 2 सैनी बिरादरी से हैं तथा प्रार्थी से रंजिश रखते हैं। दिनांक 05–02–2026 को समय करीब 01:07 बजे दिन उपरोक्त तीनो मुल्जिमान प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने प्रार्थी के घर आये थे जिसकी वीडियो प्रार्थी के घर में लगे कैमरो में सुरक्षित है। दिनांक 06–02–2026 को समय करीब 06 बजे शाम प्रार्थी अपनी माता की दवाई लेने जा रहा था जब प्रार्थी नगर पालिका के सामने पहुंचा तभी मुल्जिमान उपरोक्त ने एक राय होकर अपने अपने हाथो में लाठी डन्डे सरिया लेकर गन्दी गन्दी गालियां व जाति सूचक शब्द भंगी भगडे कहते हुए प्रार्थी को घेर लिया और प्रार्थी को जान से मारने की नियत से मारपीट करने लगे। दौरान मारपीट प्रार्थी का भाई विशु, पिता अरविन्द व घर परिवार के काफी लोग बचाने आये तो इनके साथ भी इन्होंने जान से मारने की नियत से मारपीट की। दौरान मारपीट शोर पर मौहल्ले के काफी लोग आ गये तब मुल्जिमान गन्दी गन्दी गालियां व जाति सूचक शब्द कहते हुए मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। प्रार्थी के गम्भीर चोटे होने के कारण प्रार्थी थाने गया जहां पर पुलिस द्वारा प्रार्थी का डाक्टरी मुआयना कराया गया और सरकारी अस्पताल नगीना द्वारा प्रार्थी की अत्यधिक नाजुक हालत देखते हुए प्रार्थी को बिजनौर रैफर कर दिया। प्रार्थी सरकारी अस्पताल बिजनौर में रहा। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गया लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। बल्कि मुल्जिमान के राजनैतिक रसूख के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के विरूद्ध मु0अ0सं0 36/2026 दर्ज कर दिया गया। इसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 09–02–2026 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर के समक्ष प्रार्थना पत्र गुजारा व मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की। जो पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना को प्रेषित की गयी। लेकिन प्रार्थी का कोई मुकदमा थाना नगीना पर पंजीकृत नहीं किया गया। इसलिए

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2026.03.17 16:43:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। याचना की गयी है कि थाना प्रभारी नगीना को आदेशित किया जाये कि वह प्रार्थी का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करायें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, जन शिकायत प्रकोष्ठ जनपद बिजनौर की पावती रसीद, छायाप्रतियां प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन, प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 36/2026 थाना नगीना, चिकित्सीय आख्या चुटैल अंशु, जाति प्रमाणपत्र व आधार कार्ड दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर अभियोग पंजीकृत होने के सम्बन्ध थाने से आख्या तलब की गयी, थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी व उसके परिवारजनों को जातिसूचक शब्दों के साथ गाली गलौच करके अपमानित करना, जान से मारने की नियत से लाठी डन्डो व सरिया से मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना उल्लिखित किया गया है। थाना नगीना के होमगार्ड 514 खूब सिंह के द्वारा दिनांक 06–02–2026 को प्रार्थी का चिकित्सीय मुआयना भी सरकारी अस्पताल में कराया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जाति का है, किन्तु विपक्षीगण गैर अनुसूचित जाति के हैं। थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का बनना पाया जाता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी नगीना, जनपद बिजनौर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर प्रतिलिपि नियमानुसार प्रेषित करें।

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट, बिजनौर।
J.O. Code-U.P.6074